UPSP070002052026

Presented on : 18-07-2026
Registered on : 18-07-2026
Decided on : 20-07-2026
Duration : 0 years, 0 months, 2 days

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, सहारनपुर।

उपस्थितः देवेन्द्र नाथ सिंह, एच.जे.एस. (यू0पी0 6494)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–18/2026

विपिन उर्फ पोपीन पुत्र रमेश निवासी वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–511/2018
अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

दिनांक–20.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विपिन उर्फ पोपीन पुत्र रमेश निवासी वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 511/2018 अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अमन पुत्र अमरनाथ निवासी वाल्मिकी बस्ती, शिव मन्दिर के पास कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की ओर से शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2019 को स्वीकार किया जा चुका था। दौरान विचारण प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 की आदेशिकाएं जारी कर दी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता के पैर की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया था, जिस काराण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी प्रस्तुत मामले में दिनांक 25.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वह न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित धनराशि के जामिनान देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दौरान वाद विचारण जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि यदि अभियुक्त को जमानत पर छोडा गया तो उसके फरार होने की सम्भावना है। जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त विपिन उर्फ पोपीन पूर्व से जमानत पर था। उसके गैर हाजिर रहने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी किए गए थे। अभियुक्त दिनांक 25.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के द्वारा व्यक्तिगत बन्धपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा परन्तु अभियुक्त की ओर से साक्ष्य/विचारण बाधित कर जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। मुकदमा के निस्तारण में समय लगेगा। मामले के गुण दोष पर राय व्यक्त न करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विपिन उर्फ पोपीन पुत्र रमेश निवासी वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर को मुकदमा अपराध संख्या 511/2018 अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर के मामले मे नवीन व्यक्तिगत बन्धपत्र मु0 50,000/– व समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाता है कि–

1. वह दौरान विचारण न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा तथा जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा,
2. वह स्वयं अथवा जरिए अधिवक्ता उपस्थित आएगा तथा आवश्यकता पडने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आएगा।

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
देवबन्द, जिला सहारनपुर।